हिमाचल प्रदेश सरकार
भांषा, कला एवं संस्कृति विभाग

संख्याः एल.सी.डी–एफ(8)–1./2024 दिनांकः शिमला–2, 22nd, Jan, 2026

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना संख्याः एल.सी.डी.–एफ(8)–1/2016, दिनांक 03.03.2017 को निरस्त करते हुए "धार्मिक संस्थानों, पुरातन स्मारकों व पुरास्थलों के लिए सहायतानुदान योजना" (अनुबंध–क) को अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा

राकेश कंवर
सचिव (भाषा–संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश, सरकार

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि– 22, Jan, 2026 दिनांक शिमला–2,
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–
1) प्रधान निजी सचिव एवम् विशेष सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश।
2) अतिरिक्त प्रधान सचिव एवम् विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3) विशेष निजी सचिव माननीय उप–मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार।
4) वरिष्ठ निजी सचिव मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002।
5) निदेशक (भाषा–संस्कृति), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009।
6) निदेशक (सूचना एवं जन सम्पर्क), हिमाचल प्रदेश शिमला–171002
7) समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
8) समस्त जिला भाषा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
9) संरक्षण नस्ति।

(निशा कश्यप)
संयुक्त सचिव (भाषा–संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश, सरकार
दूरभाष–0177–2625346

धार्मिक संस्थानों, पुरातन स्मारकों व पुरास्थलों के लिए सहायतानुदान योजना (योजना–12)

1 **उद्देश्य :**

भाषा एवं संस्कृति विभाग सहायतानुदान नियम 1981 (यथा संशोधित, 2004) के अन्तर्गत धार्मिक संस्थानों अथवा पुरातन स्मारकों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

2 **पात्रता :**

(1) (क) कोई भी धार्मिक संस्थान, जो कि :

- सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो
- आस्था का केन्द्र हो
- ऐतिहासिक हो

के भवनों की मुरम्मत तथा सौन्दर्यकरण हेतु कार्य जो संस्थान की मौलिक वास्तुकला के अनुरूप हो।

(ख) कोई भी पुरातन स्मारक अथवा पुरातात्त्विक स्थल, जो लगभग 50 वर्ष से अधिक पुराना हो, उसके पुरातन स्वरूप को बनाये रखने हेतु उसके संरक्षण व परिरक्षण तथा सौन्दर्यकरण के लिए।

(ग) कोई भी धार्मिक संस्थान अथवा पुरातन स्मारक :

जो किसी भी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया हो

अथवा

जिसकी संरचना अपनी आयु पूर्ण कर मुरम्मत योग्य न रही हो

अथवा

जिसकी संरचना तकनीकी कारणों से मुरम्मत योग्य न रही हो, को यथा सम्भव उसी प्रकार की सामग्री और उसी वास्तुकला में पुनर्निर्मित करने के लिए, यदि उसी प्रकार की सामग्री वर्तमान में उपलब्ध न हो

तो प्रचलित वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग हो सकता है।

(2) धार्मिक संस्थानों अथवा स्मारकों अथवा पुरातात्त्विक स्थलों में :

- अवैध कब्जा-रोकने तथा सुरक्षा के लिए
- उसके परिसर में चारदीवारी के लिए
- इसे गिरने से रोकने के लिए प्रतिधारण दीवार लगाने के लिए
- आंगन में स्थानीय पत्थर के चक्कों से चक्कातलाई
  जल निकासी व जल संचयन प्रबंधन कार्यों के लिए

धनराशि सहायतानुदान के रूप में दी जाएगी।

3 **निषेध :**

(1) यदि धार्मिक संस्थान अथवा पुरातन स्मारक अथवा पुरातात्त्विक स्थल किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति होगी तो उसे कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। अनुदान केवल सार्वजनिक सम्पत्ति या सरकारी भूमि पर बने धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक के लिए ही दिया जाएगा।

(2) किसी भी धार्मिक संस्थान के नवनिर्माण के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।

(3) 'हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान व पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984' की अनुसूची–1 में शामिल मन्दिर और 'हिमाचल प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहांसिक स्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम,1976' के तहत राज्य संरक्षित स्मारक तथा 'प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958' के तहत केन्द्रीय संरक्षित स्मारक अनुदान के पात्र नहीं होंगे।

4 **योजना का प्रचार–प्रसार**

वर्ष में दो बार (मई व सितम्बर माह में) प्रदेश में लोकप्रिय तीन समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से इस योजना के अधीन प्रकरण मंगवाए जाएंगे।

5

प्रक्रिया :

(1) आवेदक को प्रथमतः निम्नलिखित दस्तावेज ज़िला भाषा अधिकारी के माध्यम से विभाग को भिजवाने होंगे, जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि यह धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक इस योजना में विहित उद्देश्यों व प्रारंभिक शर्तों को पूर्ण करता है :

(क) सभी प्रकार के प्रकरणों के लिए एक समान औपचारिकताएं :

(I) जिस भूमि पर धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक का भवन है, उसकी नकल जमाबंदी व अक्स ततीमा।

(II) जिस भूमि पर धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक का भवन है उससे सम्बन्धित प्रपत्र–3 को सम्बन्धित क्षेत्र के पटवारी से हस्ताक्षरित करवाएंगे।

(III) सहायतानुदान प्रपत्र–1 जो कि सम्बन्धित उपायुक्त से संस्तुत हो।

(IV) सर्वेक्षण प्रपत्र–2 भरा हुआ।

(V) भवन में कौन से कार्य किए जाने का प्रस्ताव है, का विवरण संलग्न करें।

(VI) आवेदक को शपथ पत्र देना होगा कि उसने इस कार्य के लिए किसी अन्य विभाग, संस्था या व्यक्ति से अनुदान प्राप्त नहीं किया है और यदि प्राप्त किया है तो उसका पूर्ण विवरण बताना होगा (प्रपत्र–8)।

(VII) अन्य कोई ऐसा प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज जो कि प्रकरण की जांच के दौरान अथवा उपरांत, विभाग की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो, मांगा जा सकता है।

(VII) अनुदानग्राही को प्रपत्र–8 के अनुसार अनुदान सम्बंधी वचन/शपथ पत्र देना होगा।

(IX) यदि धार्मिक संस्थान/स्मारक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हो तो प्रपत्र 7 भर कर आवेदक को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(ख) धार्मिक संस्थान, जो कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो, के प्रकरणों में :

(I) धार्मिक संस्थान का महत्त्व, इतिहास, वास्तुकला, उसमें उपलब्ध कला अथवा पुराकृतियां, आयोजित होने वाले मेले व उत्सव, पूजा इत्यादि का विस्तारपूर्वक विवरण।

(II) धार्मिक संस्थान के भवन के चारों दिशाओं के चार रंगीन छायाचित्र (कम से कम 5X7 इंच साइज़ के) संलग्न करें जिनमें कि भवन, ऊपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से नज़र आता हो। छायाचित्र प्रपत्र–3 पर चिपका कर सम्बन्धित क्षेत्र के पटवारी से सत्यापित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त उन मूर्तियों, पुराकृतियों, कलाकृतियों, अलंकरणों इत्यादि के छायाचित्र भी लगाएं, जो कि स्मारक अथवा स्थल में उपलब्ध हों या किसी भी भाग पर उत्कीर्ण किए गए हों।

(ग) प्राचीन स्मारक अथवा पुरातात्त्विक स्थल, जो लगभग 50 वर्ष पुराना हो, के प्रकरण में:

(I) स्मारक का महत्त्व, इतिहास, वास्तुकला तथा पुरास्थल इत्यादि का विस्तारपूर्वक विवरण।

(II) स्मारक के चारों दिशाओं के चार रंगीन छायाचित्र (कम से कम 5X7 इंच साइज़ के) संलग्न करें जिनमें कि भवन, ऊपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से नज़र आता हो। छायाचित्र प्रपत्र–3 पर चिपका कर सम्बन्धित क्षेत्र के पटवारी से सत्यापित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त उन मूर्तियों, पुराकृतियों, कलाकृतियों, अलंकरणों इत्यादि के छायाचित्र भी लगाएं जो कि स्मारक

अथवा स्थल में उपलब्ध हों या किसी भी भाग पर उत्कीर्ण किए गए हों।

(घ) कोई भी धार्मिक संस्थान अथवा प्राचीन स्मारक :

(I) जो किसी भी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया हो

(i) प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए अथवा मुरम्मत योग्य न रहे धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक के भवन का पुराना छायाचित्र होना जरूरी है ताकि वास्तुकला का पता चल सके और उसी प्रकार नया संस्थान अथवा स्मारक बनाया जा सके। ये छायाचित्र प्रपत्र–3 पर चिपका कर सम्बन्धित क्षेत्र के पटवारी से सत्यापित होने चाहिए। यदि किसी कारणवश पुराना छायाचित्र उपलब्ध न हो तो प्रस्तावित संरचना, उस क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय अथवा पारम्परिक वास्तुकला व विनिर्देशों के आधार पर निर्मित की जाएगी। इस सम्बंध में मंदिर के आकार–प्रकार व मंजिलों की संख्या व प्रयुक्त सामग्री की रिपोर्ट स्थानीय पंचायत से ली जाएगी।

(ii) धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक का महत्त्व, इतिहास, वास्तुकला, इत्यादि का विस्तारपूर्वक विवरण

(iii) यदि धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक के प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई हो तो रिपोर्ट की संत्यापित छायाप्रति संलग्न करें अन्यथा सम्बन्धित पटवारी से रिपोर्ट लेकर संलग्न करें।

(II) जिसकी संरचना अपनी आयु पूर्ण कर मुरम्मत योग्य न रही हो अथवा जिसकी संरचना तकनीकी कारणों से मुरम्मत योग्य न रही हो,

(i) मुरम्मत योग्य न रहे धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक के भवन का छायाचित्र होना जरूरी है ताकि वास्तुकला का पता चल सके और उसी प्रकार नया संस्थान अथवा स्मारक बनाया जा सके। ये छायाचित्र प्रपत्र–3 पर चिपका कर सम्बन्धित क्षेत्र के पटवारी से सत्यापित होने चाहिए। ये रंगीन छायाचित्र (कम से कम 5X7 इंच साइज़ के) भवन के आगे, पीछे, दायें, बायें से लिए गए हों और जिनमें कि भवन, ऊपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से नज़र आता हो, भिजवाएंगे। इसमें भवन के उन भागों के रंगीन छायाचित्र भी होने आवश्यक हैं, जिनमें समस्या है और जिनके कारण भवन मुरम्मत योग्य न रहा हो।

(ii) प्राक्कलन तैयारकर्ता को भवन की वर्तमान दशा की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें कि स्पष्ट किया गया हो कि किन कारणों से भवन मुरम्मत योग्य नहीं रहा है और अब इसका पुनर्निर्माण ही एक मात्र विकल्प है।

(iii) धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक का महत्त्व, इतिहास, वास्तुकला इत्यादि का विस्तारपूर्वक विवरण।

(2) इनके प्राप्त होने पर विभाग की पुरातत्त्व शाखा इन दस्तावेजों के आधार पर प्रात्रता की जांच करेगी और यदि धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक अथवा पुरास्थल की नियमों के अनुसार पात्रता होगी तो ही प्रकरण मंगवाया जाएगा अन्यथा आवेदक को इन्कार की सूचना दे दी जाएगी । भविष्य संदर्भ हेतु, प्राप्त दस्तावेज, आवेदक को लौटाए नहीं जाएंगे।

(3) जिन धार्मिक संस्थानों अथवा स्मारकों अथवा पुरास्थलों की पात्रता सुनिश्चित हो जाती है, उनके आवेदक, विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों सहित, इस योजना

के नियमों के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता से प्राक्कलन व ड्राईंग (चार प्रतियों में) तैयार करवा कर सहायतानुदान हेतु सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी को आवेदन करेंगे। जिला भाषा अधिकारी प्रकरण पर अपनी संतुष्टि के उपरांत इसे उपायुक्त से संस्तुत करवा कर निदेशालय को भिजवाएंगे।

6 निदेशालय स्तर पर प्रकरण का तकनीकी निरीक्षण प्रक्रिया एवं वित्तीय राशि स्वीकृति :–

(क) विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रकरणों का निरीक्षण किया जाएगा और स्थल का निरीक्षण भी कर सकते हैं तथा जो भी संशोधन आवश्यक हो, तीन मास के भीतर सूचित करेंगे। प्राक्कलन को तकनीकी अधिकारी अपने स्तर पर औचित्य सहित घटा अथवा बढ़ा भी सकेंगे और तत्सम्बंधी प्रस्ताव अनुवीक्षण समिति के समक्ष भी रख सकते हैं।

(ख) सौन्दर्यकरण के अतिरिक्त सभी प्रकार के प्रकरणों में सहायतानुदान की अधिकतम राशि सामान्यतः 25.00 लाख रूपये होगी तथापि यदि यह राशि अपर्याप्त हो तो अपवादात्मक परिस्थितियों में निदेशक (भाषा–संस्कृति) तत्सम्बंधी कारणों का उल्लेख करते हुए व प्राक्कलन तथा औचित्य सहित कार्य की आवश्यकता के अनुसार मामला सरकार को प्रस्तुत करेंगे। निदेशक की संस्तुति पर इस सीमा से अधिक अनुदान प्रदान करने की शक्ति प्रशासनिक सचिव (भाषा–संस्कृति) में निहित होगी। सौन्दर्यकरण हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा 5.00 लाख रूपये होगी तथा सौन्दर्यकरण हेतु धार्मिक संस्थान/स्मारक/ पुरास्थल का प्रकरण 5 वर्ष में एक ही बार भेजा जा सकेगा।

ग) निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है, जो सभी निरीक्षित प्रकरणों की जांच कर उनकी समीक्षा करेगी और प्रत्येक प्रकरण पर अनुदान राशि की संस्तुति करेगी:–

1. निदेशक	अध्यक्ष
2. संयुक्त / अतिरिक्त निदेशक	सदस्य
3. संग्रहालयाध्यक्ष–I	सदस्य
4. पुरातत्त्व अभियन्ता	सदस्य
5. अधीक्षक–I/II	सदस्य
6. सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी	सदस्य
7. प्रारूपकार / कनिष्ठ / अति0 सहायक अभियंता	सदस्य सचिव

(घ) इसके उपरांत प्रकरण, निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग को प्रस्तुत होंगे और उनका निपटान निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा :–

1. दस लाख रूपये तक के प्रकरण निदेशक, भाषा–संस्कृति विभाग स्वीकृत करेंगे।
2. दस लाख रूपये से अधिक राशि वाले प्रकरण सरकार को स्वीकृत्यार्थ भिजवाए जाएंगे।

(ड0) विभाग द्वारा स्वीकृत राशि तथा प्रस्तावित कार्य पर व्यय होने वाली कुल राशि की शेष राशि धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक की समिति को जन–सहभागिता के रूप में सुनिश्चित करनी आवश्यक होगी।

(च) सहायतानुदान राशि विभाग द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को प्रदान की जाएगी, जो इस राशि को सचिव (भाषा–संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: एल.सी.डी.–सी(10)–8 / 2014–पार्ट–1, दिनांक 21.09.2022 व समय–समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार आवेदक / धार्मिक संस्थान कमेटी को प्रदान करेंगे, ऐसे प्रत्येक स्वीकृत मामले में अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति व स्वीकृति पत्र की प्रति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा आवेदक को प्रदान की जाएगी। स्वीकृति पत्र की प्रति सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी तथा

उपायुक्त को भी संदर्भित होगी।

(छ) अनुदान दो किस्तों में दिया जाएगा :

(1) 50 प्रतिशत अनुदान की मांग स्वीकृत होने पर

(2) शेष 50 प्रतिशत आधा कार्य पूर्ण होने पर

(3) जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष भर में कार्य अवधि कम होने के कारण यह अनुदान एक मुश्त दिया जा सकेगा।

(ज) आवेदक संस्था मुरम्मत, निर्माण, पुनर्निर्माण, सौन्दर्यकरण के कार्यों का निष्पादन खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता के पर्यवेक्षण में करेगी। खण्ड विकास अधिकारी सहायतानुदान जारी होने के एक माह के भीतर सहायतानुदान राशि आवेदक को जारी करेंगे जिसे योजना के नियमानुसार एक वर्ष के भीतर उपयोग किया जाना होगा। यदि यह राशि निर्धारित समयावधि में उपयोग नहीं की जाती है तो विभाग यह राशि ब्याज सहित वापिस लेने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, जारी राशि का निरीक्षण विभागीय प्रारूपकार/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण कर किया जाएगा व उनकी संतुष्टि के उपरान्त ही शेष राशि जारी की जाएगी। मुरम्मत, निर्माण, पुनर्निर्माण कार्य हि.प्र. सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों (Works Code, Manaul & the instructions issued by the H.P. Govt. from time to time) के अनुरूप किया जाएगा।

जिला भाषा अधिकारी भी अपने जिले में इस प्रकार हो रहे कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं। यदि धार्मिक संस्थान आवेदक, अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कार्य नहीं करता है तो सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय रिपोर्ट विभाग को अविलम्ब भेजेंगे। कार्य में किए गए विचलन में विभाग अन्तिम निर्णय हेतु प्रशासनिक सचिव (भाषा–संस्कृति) से प्रकरण उठाएगा।

यदि आवेदक द्वारा अनुदान नियमों की अवहेलना पाई जाएगी तो उसे सारी राशि ब्याज सहित एक–मुश्त में लौटानी होगी।

(झ) अनुदान की राशि, एक वर्ष के भीतर व्यय करनी होगी अन्यथा भाषा–संस्कृति विभाग, ऐसी राशि को ब्याज सहित एक–मुश्त वापस लेने का हकदार होगा।

(ञ) निदेशक (भाषा–संस्कृति) अपनी संतुष्टि पर इस अवधि को, विशेष कारणों को देखते हुए एक वर्ष तक और बढ़ाने में सक्षम होंगे।

(ट) प्रत्येक अनुदानग्राही संस्था को विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान की निम्नलिखित सूचना धार्मिक संस्थान अथवा पुरातन स्मारक के पास साईन बोर्ड लगा कर प्रदर्शित करनी आवश्यक रहेगी :

1 अनुदान प्रदाता विभाग : भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश
2 कार्य का पूर्ण नाम
3 स्वीकृत राशि
4 स्वीकृति वर्ष
5 कार्य आरंभ की तिथि
6 कार्य समाप्ति की तिथि

7 **प्रमाण–पत्र :**

(क) आधा कार्य हो जाने पर इस तथ्य हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्र, प्रपत्र–5, प्रपत्र–6, कृत कार्य के छायाचित्र व खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की कार्य प्रगति रिपोर्ट उनके निर्धारित उपयोगिता प्रमाण पत्र पर विभाग को भेजे जाएंगे।

(ख) इन निर्धारित प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पर, दूसरी व अंतिम किस्त जारी कर दी जाएगी।

(ग) आवेदक को प्रदत्त कुल अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रपत्र–6) तीन प्रतियों में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से सत्यापनोपरांत, निदेशक (भाषा–संस्कृति) को भेजना होगा। आवेदक को उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ प्रदत्त अनुदान के उपयोग के वाउचरज़ की छाया प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी जो कि आवेदक द्वारा सत्यापित होंगी, जिसके आधार पर ही अनुदान का सदुपयोग सुनिश्चित होगा।

धार्मिक संस्थान की समिति को संस्था की पूरी आय व व्यय का विवरण एक कैशबुक में दर्ज करना होगा व समस्त बिल/वाउंचरज़ सहेज कर रखने होंगे,

जिसका निरीक्षण/सत्यापन सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी/विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा किसी भी समय किया जा संकता है।

8 **निरीक्षण एवं नियम उल्लंघनाः**

(क) भाषा एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को जीर्णोद्धार अथवा निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा सौन्दर्यकरण के कार्य का समय–समय पर निरीक्षण करने की खुली छूट होगी। ये अधिकारी चल रहे कार्य में आवश्यक परिवर्तन भी आवेदक समितियों को बतायेंगे, जो कि इन समितियों को मान्य होगा। निरीक्षण अधिकारी, प्रत्येक निरीक्षित धार्मिक संस्थान अथवा पुरातन स्मारक अथवा पुरास्थल की रिपोर्ट छायाचित्रों सहित तुरंत निदेशालय को भेजेगा। विभाग के कनिष्ठ अभियंता/प्रारूपकार आवश्यकतानुसार हर अनुदान प्राप्त धार्मिक संस्थान अथवा प्राचीन स्मारक अथवा पुरास्थल का निरीक्षण करेंगे तथा सहायक अभियंता (पुरातत्व) नमूना–जांच (Test Check) के तौर पर कम से कम 10 प्रतिशत निरीक्षण करेंगे।

(ख) सहायतानुदान प्राक्कलन की जिन कार्य मदों के लिए दिया गया है उसी पर खर्च करना होगा। ऐसा न करने पर सारी राशि ब्याज सहित वापस ली जा सकेगी।

(योजना–12)

सहायता अनुदान के लिए प्रार्थना–पत्र

1	धार्मिक संस्थान/स्मारक का पूरा नाम व पता:	
	धार्मिक संस्थान/स्मारक	
	गांव	
	ग्राम पंचायत	
	डाकघर	
	विकास खण्ड	
	तहसील	
	उपमण्डल	
	जिला	
	पिन कोड	
2	क्या धार्मिक संस्थान/स्मारक सार्वजनिक सम्पत्ति है:	हां / नहीं
3	यदि (2) का उत्तर हां में है तो कौन सी संस्था अथवा ट्रस्ट चला रहा है :	
4	धार्मिक स्थल की आयु :	..... वर्ष/निर्माण वर्ष
5	धार्मिक स्थल/स्मारक के चारों कोणों के चार रंगीन छायाचित्र संलग्न हैं या नहीं ?	
6	प्रस्तावित कार्य का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए अनुदान अपेक्षित है (अलग से संलग्न करें)	
7	प्रस्तावित कार्य पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय की राशि	
8	धार्मिक स्थल का ऐतिहासिक/पुरातात्त्विक व सांस्कृतिक विवरण	
9	राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है या नहीं ?	
	पर्चा जमाबंदी	
	अक्स ततीमा	
10	अपेक्षित अनुदान की राशि जिसकी सरकार से अपेक्षा है तथा शेष राशि संस्था किस प्रकार वहन करेगी, कृपया ब्यौरा दें :	
11	क्या इस कार्य के लिए किसी अन्य स्रोत से भी सहायता प्राप्त की गई है (यदि हां तो ब्यौरा दें): शपथ पत्र संलग्न करें।	
12	धार्मिक संस्थान की प्रबंधन समिति के बैंक अकाऊंट सम्बंधी विवरण(बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ जिसमें अकाऊंट सम्बंधी समस्त जानकारी अंकित हो, की स्पष्ट छायाप्रति लगाएं)	बैंक का नाम : बैंक शाखा का पता: बैंक खाता संख्या : IFS Code संख्या :
13	कोई अन्य सूचना, यदि हो	

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त मेरे प्रतिज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

स्थान.....
तिथि.....
आधार नम्बर .....पदनाम.....
दूरभाष कोड सहित/मोबाईल नम्बर.....
पता .....

अनुदानग्राही के हस्ताक्षर.....
(नाम.....)

मैं .....(नाम), उपायुक्त जिला..... प्रमाणित करता/करती हूं कि श्री..... जिन्होंने कि इस अनुदान प्रकरण के लिए बतौर .....कारदार/संस्था अध्यक्ष आवेदन किया हुआ है, ही इस धार्मिक संस्थान/स्मारक के, सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए, वैध आवेदक हैं और यह धार्मिक संस्थान/स्मारक : मुरम्मत योग्य है / प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुआ है/मुरम्मत योंग्य नहीं रहा है अतः मै इस प्रकरण पर अनुदान राशि जारी करने की संस्तुति करता/करती हूं।(जो लागू न हो उसे काट दें।)

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर (मोहर सहित)

भाषा एवं संस्कृति विभाग,
हिमाचल प्रदेश–शिमला.171009

प्रदेश के मन्दिरों, स्मारकों, मठों तथा विहारों का सर्वेक्षण

1 मन्दिर/मठ/विहार/संस्थान का नामः
2 इसके भवन का निर्माण किसने तथा कब करवाया था :
3 मन्दिर की निर्माण शैलीः पहाड़ी/सतलुज/पैंटरूफ/शिखर/गुफा/गोम्पा/टावरनुमा/पैगोडा/गुम्बद
4 मन्दिर के प्रधान देवताः
5 मन्दिर की अनुमानित वार्षिक आयः
6 मन्दिर की कुल अनुमानित सम्पत्तिः
(1) चल सम्पत्तिः आभूषण लगभगः रूपये –
नकदी कुल रूपये
(2) अचल मकान
भूमि बीघे/कनाल/हैक्टेयर
7 मन्दिर की व्यवस्था का ब्यौराः
(पुजारी/पारम्परिक समिति/अन्य समिति––कृपया विवरण दें).....
8 मन्दिर में मूर्तियों की संख्या व विवरण :.....
9 मन्दिर के प्रांगण में आयोजित होने वाले उत्सव तथा मेलों का विवरण दें :.....
10 मन्दिर में कब–कब पूजा होती है ?.....
11 मन्दिर कहां स्थित है :
गांव..... डाकघर..... पिनकोड नम्बर.....
पंचायत..... उपतहसील.....
तहसील..... उपमण्डल.....
निकटवर्ती सड़क..... सड़क से दूरी.....
12 निकटवर्ती विश्रामगृह.....
विश्रामगृह किस विभाग का है : लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/वन विभाग/ बिजली बोर्ड़ / पंचायत /कोई अन्य (कृपया नाम लिखें)
13 विश्रामगृह में ठहरने के लिए किसे आवेदन करना है : (कृपया अधिकारी व कार्यालय का पता तथा टैलीफोन नम्बर लिखें).....
14 क्या मन्दिर में फोन लंगा है यदि है तो कृपया कोड सहित फोन नम्बर लिखें:.....
15 यदि फोन नहीं लगा है तो किसी ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति का नाम तथा फोन नम्बर लिखें जिनसे कि इस मन्दिर के बारे में सम्पर्क किया जा सके:.....
16 इस स्थान के लिए जिला / उपमण्डल / तहसील / ब्लॉक मुख्यालय से उपलब्ध बस सेवाओं के रूट का नाम व समय लिखें :.....
17 धार्मिक संस्थान/स्मारक का इतिहास जो कि कम से कम दो पृष्ठ का हो, लिखें :

प्रपत्र–3

'प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि(धार्मिक संस्थान/स्मारक/स्थल का नाम) .... मौजा.....परगत्ता.....तहसील.....जिला..... के खसरा नम्बर..... में बना हुआ है/था, जिसका फोटो नीचे चिपकाया गया है इस धार्मिक संस्थान/स्मारक/पुरास्थल के सम्बंध में यह भी प्रमाणित किया जाता है कि (जो लागू नं हो उसे काट दें):–

1 उपरोक्त खसरा नम्बर आबादी देह/मिलकीयत का नम्बर है ।
2 उपरोक्त धार्मिक संस्थान/स्मारक/पुरास्थल किसी की निजी सम्पत्ति न हो कर सार्वजनिक सम्पत्ति है ।
3 दिनांक ..... को जल चुका है/बरसात में गिर चुका है/भूस्खलन से गिर चुका है/..... .....(प्राकृतिक आपदा का नाम) जिससे नष्ट हो चुका है ।

यहां फोटो चिपकाएं

(5X7)

(हस्ताक्षर का कुछ भाग छायाचित्र व कुछ भाग इस पृष्ठ पर अंकित होना चाहिए)

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर(पटवारी).....
(नाम).....
(मोहर सहित)

प्रपत्र–4

Justification Certificate for Retaining/Breast wall

It is certified that Retaining wall(s)/breast wall (s) as shown in drawings is/are necessary for the protection of ---------- ---------- temple situated at village ---------- Gram Panchayat ---------- Tehsil ---------- District ----------.

Place:
Date:

Assistant Engineer,

(Name)----------
Block----------
Stamp

प्रपत्र–4(ए)

हलका पटवारी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..... मन्दिर .....महाल /मौजा .....तहसील .....जिला .....(हि०प्र०) के खसरा नं०..... आबादी देह रकबे में पुरातन सार्वजनिक धार्मिक स्थल बना है। मन्दिर परिसर लम्बाई..... मीटर×चौड़ाई.....मीटर..... क्षेत्रफल में फैला है।

अतः इस आशय का प्रमाण-पत्र आगामी उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

हलका पटवारी हस्ताक्षर .....

नाम .....

पटवारवृत .....

(मोहर सहित)

इसके अतिरिक्त उक्त धार्मिक संस्थान में सुरक्षा दीवार लगाई जानी प्रस्तावित है। यह सुरक्षा दीवार धार्मिक संस्थान के ..... भाग पर लगाई जानी प्रस्तावित है। सुरक्षा दीवार की लम्बाई ..... मीटर×चौड़ाई×ऊंचाई .....मीटर..... क्षेत्रफल में लगाई जानी है। जिस जगह पर यह सुरक्षा दीवार प्रस्तावित हैं वह स्थान भी धार्मिक संस्थान के कब्जे में है।

हलका पटवारी हस्ताक्षर .....

नाम .....

पटवारवृत .....

(मोहर सहित)

(प्रपत्र–5)

दूसरी व अंतिम किस्त जारी करने हेतु प्रमाण–पत्र

1)	प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन नियमों के अनुसार .... धार्मिक संस्थान/स्मारक/पुरास्थल को रूपये ..... का सहायतानुदान स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार इन्होंने प्रदत्त राशि से होने वाला कार्य पूर्ण कर लिया है।
2)	संस्था द्वारा कृत कार्य प्राक्कलन में अनुमोदित मदों के आधार पर हुआ है ।
3)	मैंने स्वयं देखा है ।
4)	मेरा निवेदन है कि इन्हें अनुदान की दूसरी व अंतिम किस्त, जो कि रुपये ..... बनती है, को जारी कर दिया जाए ।

दिनांक :
स्थान :

आवेदक
हस्ताक्षर मोहर सहित

(.....) नाम
कनिष्ठ अभियंता
मोहर सहित

(.....)नाम
खण्ड विकास अधिकारी
मोहर सहित

प्रपत्र–6

उपयोगिता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भाषा एवं संस्कृति विभाग के द्वारा धार्मिक संस्थानों, पुरातन स्मारकों, व पुरास्थलों के लिए सहायतानुदान योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष ..... में पत्र संख्याः ....दिनांक ..... द्वारा स्वीकृति सहायतानुदान राशि ..... (रुपये) .... मात्र में से जारी प्रथम किस्त /द्वितीय /अन्तिम किस्त की राशि .... (रुपये शब्दों में) ..... का उपयोग उसी प्रयोजन/उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी।

स्थान .....
तिथि .....

हस्ताक्षर .....
संस्थाध्यक्ष .....

प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर सहायतानुदान स्वीकृत किया गया था, पूर्ण की गई हैं/ पूर्ण की जा रही हैं तथा धन का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था ।

(.....) नाम
कनिष्ठ अभियंता
खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय
मोहर सहित

(.....)नाम
खण्ड विकास अधिकारी
मोहर सहित

(.....) नाम
जिला भाषा अधिकारी
मोहर सहित

(.....) नाम
प्रारूपकार/कनिष्ठ अभियन्ता (भाषा–संस्कृति)
मोहर सहित

भाषा एवं संस्कृति विभाग (निदेशालय), हिमाचल प्रदेश

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
के हस्ताक्षर व पदनाम

प्रतिहस्ताक्षर विभागाध्यक्ष

प्रपत्र–7

(अनुसूचित जाति विकासात्मक योजना के तहत धार्मिक संस्थानों व स्मारकों व पुरास्थल के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि ..... नाम का धार्मिक संस्थान/स्मारक/पुरास्थल जो कि खसरा नम्बर ..... मौजा ..... परगना ..... तहसील ..... जिला ..... में बना हुआ है। यह अनुसूचित जाति से सम्बधित है और यह उनका आराध्य देव/देवी या स्मारक या पुरास्थल है।

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षर
ग्रामीण राजस्व अधिकारी (पटवारी)
मोहर सहित

या

प्रमाणित किया जाता है कि ..... नाम का धार्मिक संस्थान/स्मारक/पुरास्थल जो कि खसरा नम्बर ..... मौजा ..... परगना ..... तहसील ..... जिला ..... में बना हुआ है, अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है और यह उनका आराध्य देव/देवी या स्मारक या पुरास्थल है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर (पंचायत सचिव)
मोहर सहित

हस्ताक्षर(पंचायत प्रधान)
मोहर सहित

प्रपत्र–8

अनुदान सम्बन्धी वचन/शपथ पत्र

भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 द्वारा (स्मारक/धार्मिक संस्थान/पुरास्थल का नाम) ..... (गांव ..... पंचायत ..... डाकघर ....उपतहसील /तहसील ..... उपमण्डल ..... ज़िला ..... के जीणोद्धार/पुनर्निर्माण/सौन्दर्यकरण के लिए रूपये ...../– (रुपये .... मात्र) की राशि स्वीकृत की गई है इस सहायतानुदान के सम्बंध में मैं ..... सपुत्र श्री ..... गांव ..... परगना/फाटी ..... डाकघर .... पंचायत ..... तहसील ..... उपमण्डल ..... जिला .....वचन देता हूं/शपथ लेता हूं/प्रमाणित करता हूं कि :–

1)	सरकार द्वारा जो उपरोक्त धनराशि इस धार्मिक संस्थान/स्मारक/ पुरास्थल के लिए स्वीकृत की गई है और जो कुल धनराशि इस प्रस्तावित संरचना के मुरम्मत/जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण/सौन्दर्यकरण पर व्यय होगी, उसका शेष, जो कि स्वीकृत धनराशि से कम नहीं होगी, संस्था/आवेदक द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।
2)	आवेदक/संस्था किसी भी भ्रष्ट कार्यकलाप से सम्बन्धित नहीं है।
3)	स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर कर लिया जाएगा।
4)	प्रस्तावित संरचना का मुरम्मत/जीर्णोद्धार/पुर्ननिर्माण/सौन्दर्यकरण कार्य, प्राक्कलन में अनुमोदित मदों के आधार पर ही निष्पादित किया जाएगा।
5)	मैंने विभाग से तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति प्राप्त कर ली है और निर्माण कार्य का विस्तृत विवरण भाषा–संस्कृति विभाग के अभियंताओं/प्रारूपकार से भली–भांति समझ लिया है और तद्नुसार ही कार्य करवाया जाएगा।
6)	यदि किसी कारणवश अनुदान राशि का उपयोग नहीं हो पाता है या इस राशि में से कुछ राशि बच जाती है तो उसे तुरन्त ही सरकार को लौटा दिया जाएगा।
7)	विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का धार्मिक संस्थान/स्मारक के प्रत्येक भाग में प्रवेश मान्य होगा।
8)	मुरम्मत/जीर्णोद्धार/पुर्ननिर्माण/सौन्दर्यकरण कार्य के दौरान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
9)	धार्मिक संस्थान/स्मारक किसी व्यक्ति(यों) की निजी सम्पत्ति नहीं है।
10)	निर्माण कार्य पूर्ण होने के एक मास के भीतर उपयोगिता प्रमाण–पत्र(लेखा परीक्षा रिपोर्ट/व्यय विवरण सहित) विभाग को भिजवा दिया जाएगा।
11)	मुरम्मत/जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण/सौन्दर्यकरण कार्य में स्मारक/धार्मिक संस्थान के भवन के किसी भी भाग पर रंग रोगन/सफेदी/डिस्टैम्पर या आधुनिक फिनिश नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे किसी रसायन/आधुनिक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा जिससे कि भवन का रंग/मूलस्वरूप बदले या उसे किसी प्रकार से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से उसकी पुरामहत्ता को कोई क्षति पहुंचे। धार्मिक संस्थान के भवन के अतिरिक्त परिसर में अन्य सौन्दर्यकरण के कार्यों पर यह लागू नहीं है।
12)	इस कार्य के लिए किसी अन्य विभाग, संस्था या व्यक्ति से अनुदान प्राप्त नहीं किया है/किया है अतः प्राप्त किए गए सहायतानुदान का पूर्ण विवरण संलग्न किया जा रहा है।

यदि मैं उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करता हूं तो अनुदान की सारी राशि, सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज सहित, अविलम्ब लौटा दूंगा अन्यथा मैं इस राशि की भरपाई भू–राजस्व (Land Revenue) के रूप में वसूलने के लिए जिला समाहर्ता ..... (जिला) को प्राधिकृत करता हूं।

दिनांक :–

स्थान :–

आवेदक/अनुदानग्राही के हस्ताक्षर

पूर्ण नाम, पदनाम तथा
मोहर सहित